स्पीड़ पोस्ट द्वारा
सू.का.अधि.मामला/समयबद्ध
अति तत्काल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय / Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066
www.epfiindia.gov.in , www.epfindia.nic.in

संख्या: मा.सं.प्र.v/1(7)2010/सू.का.अधि./डी.ई.ओ./डी.पी.ए./ 96 दिनांक 4 अप्रैल APR 2011

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराना ।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत श्री एस.के.सिंह द्वारा उनके लिखित आवेदन दिनांक 10.03.2011 के द्वारा सूचना हेतु अनुरोध किया गया है।

2. चूंकि, मुझे उक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाने पर अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उस पर विचार कर सूचना देना आवश्यक है।

3. एवं चूंकि अधिनियम की धारा 5(4) में प्रावधान है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, यदि उचित समझे, अपने कर्तव्य के उचित निर्वाह हेतु किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है। उप पैरा (5) में आगे यह प्रावधान भी है कि जिस अधिकारी से सहायता मांगी गई है वह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को पूरी सहायता देगा। यदि अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण शिकायत भेज दी जाती है, तो ऐसे अन्य अधिकारी को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी माना जाएगा एवं वह अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दण्ड का भागी हो सकता है। आगे, उपबन्धों का उल्लंघन होने अथवा दस्तावेज/सूचना उपलब्ध न कराने पर ऐसा अधिकारी अधिनियम की धारा 20 (1) के अन्तर्गत देरी के लिए, 250/-रूपये प्रतिदिन की दर से दण्ड का भागी होगा जो कि 25000/-रूपये तक बढ़ सकता है।

4. एवं चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) में प्रावधान है कि:

"जब सूचना के लिए जन अधिकारी को आवेदन किया गया हो:-"

(i) जो किसी अन्य जन अधिकारी के पास उपलब्ध हो ; अथवा

(ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य जन प्राधिकारी के कार्यों से संबंध रखती हो।

जिस जन प्राधिकारी को ऐसा आवेदन किया गया हो, वह आवेदन को अथवा इसके किसी भाग को, जैसा उचित समझे उस अन्य अधिकारी के पास स्थानांतरित करेगा एंव आवेदन कर्त्ता को ऐसे स्थानांतरण की तत्काल सूचना देगा।

5. चूंकि आवेदन की जाँच से मैंने पाया है कि आवेदनकर्ता ने निम्नलिखित मदों पर सूचना मांगी है:

(i) बिन्दु संख्या 5

जो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त - I, रांची, झारखंड से संबंधित एवं उपलब्ध है। मैं उक्त अधिनियम की धारा 5(4) का उपयोग करते हुए आवेदनकर्ता द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत गई सूचना/दस्तावेज इस प्रति की प्राप्ति के 07 दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र को स्थानांतरित करता हूँ । कृपया आप नोट करें कि मांगी गई सूचना/दस्तावेज निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध कराने में हुई देरी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दाण्डिक उपबन्ध हैं ।

कृपया इसे **अति तत्काल** समझें ।

(आर.के.कुंकरेजा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -I (मा.सं.प्र.)

सेवा में,

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I का कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची, झारखंड
2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन.डी.सी) - इसे संगठन की वेबसाइट पर डालने के लिए ।
3. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II {मा.सं.प्र.(आर.टी.आई.)}को उनके दिनांक 23.03.2011 के यू.ओ.नोट के संदर्भ में सूचनार्थ ।
4. श्री. एस. के. सिंह
कृपा धन, जाकिर हुसैन पार्क के विपरीत
कोर्ट पोस्ट ऑफिस के नजदीक
राँची - 834 001.